भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4093
गुरुवार, दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना</u>

4093. श्री राजकुमार चाहरः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन्द्र सरकार की राज्य सरकारों के सहयोग से देश में विशेषकर फतेहपुर सीकरी में ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) शहरी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग के प्रोत्साहन हेतु ऐसी ही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) किसानों के उपयोग हेतु अनन्य रूप से उपलब्ध विशेष प्रोत्साहन योजनाओं/अवसरों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त प्रयोजन हेतु प्रयोक्ताओं हेतु कितनी राजसहायता प्रदान की गई है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा तथा विद्युत और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख): सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए फतेहपुर सीकरी सहित देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कई योजनाएं शुरू की हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना और उनके उपयोग संबंधी योजनाओं का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग) और (घ): मंत्रालय ने 08.03.2019 को देश में किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना के कार्यान्वयन के लिए स्वीकृति जारी की है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. ग्रामीण क्षेत्रों में 2-2 मेगावाट तक के अक्षय ऊर्जा आधारित लघु विद्युत संयंत्रों के माध्यम से 10,000 मेगावाट क्षमता की स्थापना;
ii. 17.5 लाख स्टैण्ड-एलोन ऑफग्रिड सौर जल पंपों की स्थापना; तथा
iii. 10 लाख मौजूदा ग्रिड से जुडे कृषि पंपों का सोलरीकरण।

इस योजना के तहत स्टैण्ड-एलोन सौर पंपों की स्थापना और मौजूदा कृषि पंपों के सोलरीकरण के लिए बेंचमार्क लागत या निविदा लागत की 30 प्रतिशत, जो भी कम हो, केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के रूप में किसानों को दी जाती है। राज्य सरकार भी 30 प्रतिशत या उससे अधिक तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। इसके अलावा, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख, लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मामले में बेंचमार्क लागत या निविदा लागत का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, सीएफए प्रदान किया जाएगा।

अनुलग्नक

'सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना' के संबंध में पूछे गए दिनांक 12.12.2019 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4093 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा प्रणालियों की संस्थापना एवं उपयोग के लिए योजना का विवरण

योजना	कवरेज	प्राप्त लाभ
i) प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम)	(क) घटक-कः 2 मेगावाट क्षमता तक के अक्षय विद्युत संयंत्रों (सौर सहित) की बंजर/कृषि भूमि पर संस्थापना। (ख) घटक-खः 7.5 एच पी क्षमता तक के 17.5 लाख स्टैण्ड-एलोन सौर पंपों की सिंचाई के लिए संस्थापना। (ग) घटक-गः 7.5 एचपी क्षमता तक के वर्तमान 10 लाख कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से चलाना।	भाग-'क' के लिए, विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा खरीदी गई बिजली पर 0.40 रु. प्रति यूनिट अथवा संस्थापित क्षमता के प्रति मेगावाट पर 6.6 लाख रु., जो भी कम हो, की दर से सीओडी से 5 वर्ष की अवधि तक पीबीआई प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी। भाग 'ख' और 'ग' के लिए, बेंचमार्क लागत या स्टैण्ड-अलोन पंप की निविदा लागत या वर्तमान पंप का सोलरीकरण, जो भी कम हो, के लिए 30 प्रतिशत की केन्द्रीय वित्तीय सहायता। हालांकि, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड, लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूहों में बेंचमार्क लागत अथवा निविदा लागत के 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, की केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है।
ii) ऑफ-ग्रिड सौर पीवी योजनाएं	क) ऑफ-ग्रिड चरण-III कार्यक्रम के अंतर्गत सौर स्ट्रीट लाइटें/पावर पैक ख) ऑफ-ग्रिड चरण-III कार्यक्रम के अंतर्गत सौर स्टडी लैम्प ग) 70 लाख सौर स्टडी लैम्प योजना के अंतर्गत सौर स्टडी लैम्प घ) अजय (एजेएवाई) योजना के अंतर्गत सौर स्ट्रट लाईट।	सामान्य श्रेणी और विशेष श्रेणी राज्यों के लिए क्रमशः 30% तक सीएफए और परियोजना व्यय का 90% लैम्प के दाम का 85% तक सीएफए प्रति लैम्प 100/- रु. विद्यार्थियों का योगदान और शेष की अदायगी सीएफए के तौर पर की जाएगी। परियोजना खर्च के 75% तक सीएफए।
iii) आवासीय क्षेत्र में चरण-II के अंतर्गत ग्रिड कनेक्टड रूफटॉप सौर पीवी विद्युत परियोजनाएं	4000 मेगावाट	केन्द्रीय वित्तीय सहायता निम्न प्रकार है – (i) आवासीय क्षेत्र (अधिकतम 3 किलोवाट तक की क्षमता) – बेंचमार्क लागत का 40% (ii) आवासीय क्षेत्र (3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट क्षमता तक) – 3 किलोवाट तक 40% के अलावा 3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट तक की आरटीएस प्रणाली के लिए 20% (iii) ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों/आवासीय कल्याण समितियों (जीएचएस/आरडबल्यूए) आदि की सामान्य सुविधाओं के लिए (प्रति घर के लिए 10 किलोवाट पीक की दर से) 500 किलोवाट पीक तक, जिसकी ऊपरी सीमा में उस जीएचएस/आरडबल्यूए की सामान्य गतिविधियों के लिए संस्थापित किये जाने वाले आरटीएस के समय वहां के व्यक्तिगत निवासियों द्वारा पहले ही संस्थापित व्यक्तिगत रूपटॉप संयत्र भी शामिल हैं।

*****